पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.02.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स०	"भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय न रहने के कारण वहां की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस विषय पर ध्यानाकर्षणकर्त्ता सदस्य ने पीरपैंती के वर्त्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से दिनांक-03.08.2012 को मिलकर कहलगाँव में व्यवहार न्यायालय खोलने हेतु आग्रह किया था । इसपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जिलाधिकारी, भागलपुर को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया था, साथ ही मुख्य सचिव एवं विधि सचिव को भी आवश्यक निदेश दिये गए । परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । अत: जनहित में कहलगाँव अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय खोलने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	विधि

1	2	3	4
2.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री परमानन्द ऋषिदेव, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री सतीश कुमार साह, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री शालिग्राम यादव, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री रामनरेश यादव, स०वि०स० श्री पद्म पराग राय वेणु, स०वि०स० श्री संतोष कुमार, स०वि०स०	''राज्य में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत गरीबों के लिये चलायी जा रही खाद्यान्न योजनाओं की स्थिति निराशाजनक है । बी०पी०एल० परिवारों के लिये जहाँ वर्ष 2010-11 में गेहूँ का उठाव 91.06 प्रतिशत, चावल का 81.85 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2011-12 में गेहूँ का 64.8 प्रतिशत तथा चावल का उठाव 68.6 प्रतिशत ही हो पाया है । अन्त्योदय योजना का वर्ष 2010-11 में गेहूँ का उठाव 97.9 प्रतिशत, चावल का 95.1 प्रतिशत उठाव हुआ । वहीं 2011-12 में गेहूँ 94.2 प्रतिशत तथा चावल का उठाव 91 प्रतिशत हुआ । अन्नापूर्णा योजना के तहत् वर्ष 2010-11 में गेहूँ का उठाव 61.3 प्रतिशत, चावल 62.4 प्रतिशत, वहीं वर्ष 2011-12 में क्रमशः गेहूँ का 59 प्रतिशत, चावल का उठाव 55.2 प्रतिशत हुआ है । पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों का उक्त योजना का लाभ शत-प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है । अतः उक्त योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत अनाज उठाव में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई एवं शत-प्रतिशत अनाज वितरण कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/13- 161 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / विधि विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/13- 161 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

27/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।